ईमेल सम्प्रेषण

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail add : apccfnq@mp.gov.in 0755-2674238 (O) Fax 0755-2575887

क्रमांक / प्रशा.2 / स्था.03 / 7339 भोपाल, दिनांक 25/10/18

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश।

विषयः वनक्षेत्रपालों के द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।

वन विभाग के क्षेत्रीय वनमण्डलों एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों के अंतर्गत पदस्थ वनक्षेत्रपालों के द्वारा विभिन्न वन अधिनियमों जैसे–भारतीय वन अधिनियम–1927, वन्यप्राणी अधिनियम–1972, अपराध प्रक्रिया संहिता, जैव विविधता अधिनियम–2002, वन संरक्षण अधिनियम–1980, काष्ठ चिरान अधिनियम–1984 एवं अन्य संबंधित अनुषांगिक (Subsidiary) वन अधिनियमों के तहत वैधानिक दायित्वों का निर्वाहन किया जाना होता है। उनके द्वारा वैधानिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु यह अपेक्षित है कि संबंधित वनक्षेत्रपालों को प्रचलित विभागीय अधिनियमों एवं नियमों का पर्याप्त ज्ञान हो। इस संबंध में म0प्र0शासन द्वारा प्रति वर्ष दो बार संबंधित विषयों (सामान्य विधि, वन विधि एवं लेखा एवं प्रक्रिया) हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें उत्तीर्ण होने पर यह माना जाता है कि संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा इन विषयों में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है।

2. वन विभाग में प्रचलित फारेस्ट मैन्युअल (Volume-1 Chapter-IV, Para 33.6 एवं 33.7) में भी वनक्षेत्रपालों के द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है तथा इसके उपरांत ही कार्य दायित्व देने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में पदावनत करने एवं वेतनवृद्धि स्थगित किये जाने के भी स्पष्ट प्रावधान ''फारेस्ट मैन्युअल'' में उल्लेखित हैं।

.....2

3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रकरण WP/7375/2010 आदेश दिनांक 10.08.2010 के तारतम्य में लिये गये निर्णय के अंतर्गत वन अधिकारियों को वन अधिनियमों की जानकारी सुनिश्चित करने हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के संबंध में म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–3/108 2010/10–1 दिनांक 15.12.2010 से निर्देश जारी किये गये हैं।

4. यह जानकारी में आया है कि क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी वनमण्डलों में पदस्थ कतिपय वन क्षेत्रपालों द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा वैधानिक दायित्वों की पूर्ति को दक्षतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

5. म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 627/1905/1/3/85 दिनांक 20 नवम्बर 1985 एवं पृष्ठाकन क्रमांक एफ–3–84/84/दो–ए/3 दिनांक 07.01.1986 में भी निर्देश दिये गये है कि **"विभाग में ऐसे पदों के लिए जिनके कर्तव्य क्षेत्र की दृष्टि से एवं कार्य निष्पादन हेतु कोई परीक्षा या प्रशिक्षण विभाग द्वारा अर्हकारी रूप से अनिवार्य निर्धारित किया गया हो, शासकीय सेवक को ऐसी परीक्षा या प्रशिक्षण से छूट नहीं दी जायेगी चाहे उसकी आयु कितनी भी हो।"** इसका तात्पर्य यह है कि यदि किन्हीं कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु होने के कारण छूट प्राप्त है तो भी वे इन पदों पर रहने हेतु उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

6. ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि ऐसे वनक्षेत्रपालों को तत्काल चिन्हांकित कर लिया जाये जिनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके वन वृत में (कार्य आयोजना/अनुसंधान विस्तार/वन्य प्राणी सहित) पदस्थ समस्त वनक्षेत्रपालों (सीधी भर्ती एवं पदोन्नत) की विभागीय परीक्षा (सामान्य विधि, वन विधि एवं लेखा एवं प्रक्रिया) उत्तीर्ण करने की जानकारी संलग्न प्रपत्र में अनिवार्य रूप से दि. 31.10.2018 तक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.–।।) कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे इस संबंध में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले

.....3

वनक्षेत्रपालों को चिन्हांकित कर क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी परिक्षेत्रों के प्रभार से पृथक करने की कार्यवाही की जा सके। साथ ही ऐसे वनक्षेत्रपालों जिनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, को निर्देशित करें कि वे 31 मार्च 2019 तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करें, अन्यथा उनको क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी प्रभार से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः प्रपत्र

18.10.18

(एम0के0 सपरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठा0क्रमांक / वनिस / 7340 — भोपाल, दिनांक 25/10/18

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी / अनुसंधान विस्तार / उत्पादन / कार्य आयोजना एवं कैम्पा) म.प्र. भोपाल
3. सदस्य, नर्मदा घाटी विकास विकास प्राधिकरण, भोपाल। कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्र कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के माध्यम से मुख्यालय भिजवायें।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना आंचलिक (भोपाल / इंदौर / जबलपुर) म.प्र.। कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्र कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के माध्यम से मुख्यालय भिजवायें।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना / अनुसंधान विस्तार) म.प्र.। कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्र कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के माध्यम से मुख्यालय भिजवायें।
6. समस्त क्षेत्र संचालक, म0प्र0। कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी एकत्र कर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के माध्यम से मुख्यालय भिजवायें।

18.10.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रपत्र

क्र.	वनमंडल का नाम	वनक्षेत्रपाल का नाम	सीधी भर्ती/ पदोन्नति	संवर्ग में आने का दिनांक	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण	यदि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उत्तीर्ण करने का विषय एवं वर्ष		प्रमाण पत्र संलग्न (गजट नोटिफिकेशन)
						विषय	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9